



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14087

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 519 सन् 2026

डॉ. गजेंद्र सिंह उर्फ गजेंद्र सिंह और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : इल्मा नाज़, कन्हैया लाल, मोहम्मद इफ्तेखार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद इफ्तेखार, साथ ही अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी को सुना गया।

2. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे दो हैं और पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए उनके दावे पर विचार न किए जाने से व्यथित हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पशु चिकित्सा अधिकारियों के चयन एवं नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा दिनांक 22.12.2025 को विज्ञापन संख्या D-6/E-1/2025 प्रकाशित किया गया था, जिनकी कुल संख्या 404 थी। विज्ञापन के अनुसार, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22.01.2026 थी और यदि कोई सुलह आवश्यक हो तो उसे 29.01.2026 तक किया जाना था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके पास संबंधित विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री है, लेकिन याचिकाकर्ता संख्या 2 से संबंधित इंटरनशिप के संबंध में... 1. तीसरे प्रत्यर्थी, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद ने 30.04.2025 को एक प्रमाण पत्र जारी किया था जिसकी वैधता 29.04.2026 तक थी और याचिकाकर्ता संख्या 2 के संबंध में भी 30.04.2025 को इंटरनशिप का प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसकी वैधता 29.04.2026 तक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि यद्यपि वे पात्रता मानदंडों के अनुसार पूर्णतः पात्र हैं, फिर भी उन्हें इंटरनशिप के लिए एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसकी समाप्ति तिथि 29.04.2026 है। याचिकाकर्ताओं का निवेदन है कि अनंतिम इंटरनशिप प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इंटरनशिप पात्रता से भिन्न नहीं है और एक बार याचिकाकर्ताओं की पात्रता सिद्ध हो जाने पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद इंटरनशिप की समाप्ति का प्रश्न याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराने का कारक नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15735/2025, (विकास मांडा और अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग) दिनांक 18.08.2025) और चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश सीडब्लूपी-9-2026, (दीपक खत्री और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) दिनांक 06.01.2026) पर भरोसा करने का प्रयास किया है।

4. आयोग की ओर से उपस्थित श्री त्रिपाठी ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क निराधार है। उनका कहना है कि भर्ती नियमों के अनुसार, न केवल पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री आवश्यक है, बल्कि पात्र माने जाने के लिए उम्मीदवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम/इंटरनशिप पूरा करना भी आवश्यक है, जो पात्रता मानदंडों का एक अभिन्न अंग है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ताओं की इंटरनशिप 29.04.2026 को पूरी हो जाएगी, जबकि विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22.01.2026 है। वे इस संबंध में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 7920/2020 (अनुप कुमार यादव बनाम 16 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक 30.07.2021 को दिए गए निर्णय का हवाला देना चाहते हैं।

5. मैंने बार की ओर से दिए गए सभी निवेदनों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. तथ्य आक्षेपित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि विज्ञापन में ही भारत में विधिवत स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, 1984 की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित अन्य मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यताओं की अपेक्षा की गई है और उम्मीदवार का उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद में विधिवत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. पक्षों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि क्या स्नातक विज्ञान और पशुपालन की डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को इंटरनशिप सफलतापूर्वक पूरी किए बिना ही पात्र माना जा सकता है। न्यायालय की राय में, इंटरनशिप पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की स्नातक डिग्री का अभिन्न अंग है। एक बार जब कोई उम्मीदवार स्नातक डिग्री के अभिन्न अंग के रूप में इंटरनशिप उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसे पात्र और योग्य माना जाना चाहिए। **अनूप कुमार यादव (उपरोक्त)** मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"आज दाखिल किए गए प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि उपाध्याय की दलीलें सुनी गईं।

यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:

"कोविड-19 के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 को फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 05.10.2020 से बढ़ाकर 20.10.2020 करने या उससे आगे बढ़ाने का आदेश देने हेतु परमादेश जारी किया जाए, और यदि आवश्यकता हो तो याचिकाकर्ताओं के दिनांक 09.09.2020 के अनुरोध पर तर्कसंगत आदेश द्वारा ऐसा किया जाए।"

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि लोक सेवा आयोग ने 05.09.2020 को पशु चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन संख्या 1/2020-21 जारी किया था। उक्त विज्ञापन के तहत निर्धारित पात्रता यह थी कि उम्मीदवारों के पास डिग्री होनी चाहिए। बी.वी.एस.सी. और ए.एच.

यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पास आवेदन दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक उक्त डिग्री नहीं थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें इंटरनशिप पूरी करने के बाद डिग्री प्रदान की जानी थी, जो 01.07.2020 से 09.07.2020 तक निर्धारित थी। हालांकि, महामारी के कारण तिथियां बढ़ा दी गईं और इस प्रकार याचिकाकर्ता निर्धारित अंतिम तिथि से पहले इंटरनशिप पूरी नहीं कर सके और इस प्रकार उन्हें नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से वंचित कर दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह तर्क दिया जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में, कानून यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि नियुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों के पास आवेदन दाखिल करने की तिथि पर निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, हालांकि, महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को सामान्य स्थिति नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, यह रिट याचिका दायर की गई है।

मुझे खेद है कि यह प्रश्न सर्वविदित है कि विचार किए जाने के इच्छुक व्यक्तियों के पास आवेदन की तिथि पर आवश्यक निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, इसलिए वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी शिकायतों के निवारण के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं।

यदि याचिकाकर्ता राज्य सरकार से संपर्क करते हैं, तो उनकी शिकायतों पर कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

8. फिर भी, जिन आदेशों पर याचिकाकर्ता राजस्थान उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष भरोसा करना चाहते हैं, वे अंतरिम आदेश हैं। हालांकि, इस न्यायालय ने **अनूप कुमार यादव (उपरोक्त)** मामले में पशु चिकित्सा अधिकारियों की पात्रता से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए स्वयं यह राय व्यक्त की है कि इंटरनशिप पात्रता का अभिन्न अंग है और अनिवार्य प्रावधान है। इसके अलावा, पात्रता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर देखी जानी चाहिए और यदि याचिकाकर्ता के पास इंटरनशिप का आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

9. तदनुसार, हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए याचिका **खारिज** की जाती है।

10. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में ले लिए गए हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।